फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री कमलेश रेगर पुत्र श्री गोपीलाल रेगर नि. हाल सावरीया स्वीट हाउस बस स्टेण्ड, दीपापुर तहसील वेमुलवाडा जिला राजना सिलसिला (तेलगांना)–505302

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 96/2022**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 06.02.2023 पत्रावली पेश हुई । अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, देवगढ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ द्वारा जरिये पत्रांक आरटीआई/2023/51 दिनांक 4.1.2023 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना में से बिन्दु सं. 1 की सूचना दी जा चुकी है। बिन्दु सं. 2 में उल्लेखित कर्मचारी श्री प्रतिक सिंह नाम का कोई भी कर्मचारी पद पर नहीं है। बिन्दु सं. 3 में प्र.सं. 57/2022 बंशी बनाम लालु में अपीलार्थी वादी अथवा प्रतिवादी नहीं होने तथा बिन्दु सं. 4 की सूचना न्यायालय से संबंधित होकर व्यक्तिगत होने से दिया जाना संभव नहीं है। बिन्दु सं. 5 में बंशी बनाम वगैरह भूमि की रजिस्ट्री की सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ के कार्यालय से संबंधित नहीं है। सूचना की प्रति अपीलार्थी श्री कमलेश रेगर को भी पृष्ठाकिंत की जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना में से बिन्दु सं. 01 की सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है बिन्दु सं. 02 के अनुसार श्री प्रतिक सिंह नाम का कोई कर्मचारी नहीं होने एवं बिन्दु सं. 03 एवं 04 की सूचना न्यायालय से संबंधित होकर अपीलार्थी वादी/प्रतिवादी नहीं होने से आर.टी.आई. एक्ट 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार प्रतिलिपि उपलब्ध कराना संभव नहीं है। बिन्दु सं. 05 भूमि रजिस्ट्री से संबंधित होने से तहसीलदार एवं उप पंजियक, देवगढ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा भूमि रजिस्ट्री संबंधि सूचना चाही जाने पर नियमानुसार उपलब्ध करावे। उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ एवं तहसीलदार, देवगढ को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर) राजसमंद**	न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.